<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>2.09.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ने 30.08.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत झारखंड राज्य में प्रमोद कुमार सिंह और उनके परिवार से संबंधित 1.63 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो, धनबाद द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्रमोद कुमार सिंह और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) फंड के दुरुपयोग के संबंध में जांच शुरू की। प्रमोद कुमार सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत थे।

ईडी की जांच में पता चला है कि प्रमोद कुमार सिंह और दिवंगत शशि भूषण प्रसाद, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जिन्हें एनआरएचएम फंड निकालने और खर्च करने के लिए संयुक्त रूप से अधिकृत किया गया था, ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, झरिया सह जोड़ापोखर को आवंटित 9.39 करोड़ रुपये (लगभग) की सरकारी राशि का गबन किया। प्रमोद कुमार सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), झरिया सह जोड़ापोखर, धनबाद के दो बैंक खातों और पीएचसी प्रबंधन सोसाइटी, जोड़ापोखर के एक बैंक खाते से उपरोक्त धनराशि को अपने बैंक खातों या अपने परिवार/सहयोगियों के बैंक खातों में अवैध रूप से अंतरित कर दिया। यह भी पता चला है कि प्रमोद कुमार सिंह ने अनुसूचित अपराध और संबंधित आपराधिक गतिविधि से सीधे प्राप्त अपराध की आय के माध्यम से अपने, अपनी पत्नी प्रिया सिंह और अपने सहयोगियों के नाम पर चल और अचल संपत्ति अर्जित की।

ईडी ने पहले भी उपरोक्त मामले में 06 तलाशी और 01 सर्वेक्षण किया था और अपराध संकेती साक्ष्य जब्त किए थे। तलाशी के परिणामस्वरूप प्रमोद कुमार सिंह के आवासीय परिसर से तीन महंगी गाड़ियां और 2.17 लाख रुपये की नकदी बरामद करके जब्त कर ली गई तथा बैंक खाते में जमा 4 लाख रुपये की राशि भी जब्त कर ली गई।

आगे की जांच जारी है।